राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 29.1.16

–: आदेश :–

श्री रवि जैन, आई.ए.एस. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 23/2016 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.7.2034 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक पं.1(1)साप्र/2/2014 दिनांक 30.6.2016 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 402, मॉडल टाउन मालवीय नगर, जयपुर का आवंटित किया गया था। श्री रवि जैन, आई.ए.एस., उक्त आवंटित आवास का कब्जा लेने के इच्छुक नहीं होने के कारण आवंटित राजकीय आवास संख्या 402, मॉडल टाउन, मालवीयनगर, जयपुर का आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. श्री रवि जैन, आई.ए.एस. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालवीय नगर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभिंयता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मालवीय नगर, जयपुर।
9. कोषाधिकारी,कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही कोसुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की तिथि में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6, की पालना में भी अमल में लावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–7, की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव